04-03-2023

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में परिवर्तन

समाचार पत्रों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से बचाने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि उनकी नियुक्तियां प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारत के प्रधान न्यायाधीश की समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएंगी।

त्वरित मुद्दा?

- पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने गुरुवार को अपने अहम फैसले में कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तीन सदस्यीय समिति की सलाह पर की जाएगी। समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई)होंगे। अगर लोकसभा में नेता विपक्ष न हो तो सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता सलाह देने वाली समिति में शामिल होंगे। यह व्यवस्था संसद द्वारा इस बारे में कानून बनाए जाने तक लागू रहेगी। शीर्ष कोर्ट ने फैसले में कहा कि लोकतंत्र में चुनाव की शुचिता बनाए रखनी चाहिए अन्यथा इसके विनाशकारी परिणाम होंगे।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी।यह एक संवैधानिक संस्था है, जो देश में चुनावों को संपन्न कराती है।
- संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है।
- अनुच्छेद 324- चुनावों को कराने, नियंत्रित करने, दिशानिर्देश देने, देखरेख की चुनाव आयोग की जिम्मेदारी।
- अनुच्छेद 325- धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को वोटर लिस्ट में शामिल न करने और इनके आधार पर वोटिंग के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान।
- अनुच्छेद 326- लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के लिए चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा।

अन्य प्रमुख तथ्य?

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के सम्बन्ध में विभिन्न समितियों की सिफारिशें

- वर्ष 1975 में गठित 'तारकुंडे समिति' ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिये चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने की सिफ़ारिश की थी।
- दिनेश गोस्वामी समिति ने भी तारकुंडे समिति की सिफारिशों को दोहराया।
- दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट (2007) में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिये गठित समिति में कानून मंत्री तथा राज्यसभा के उपसभापति को भी शामिल करने की सिफ़ारिश की गयी थी।

- अनुच्छेद 327- चुनाव से जुड़े प्रावधानों को लेकर संसद को कानून बनाने की शक्ति।
- अनुच्छेद 328- किसी राज्य के विधानमंडल को चुनाव से जुड़े कानून बनाने की शक्ति।
- अनुच्छेद 329- चुनाव से जुड़े मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर अंकुश।
- संविधान के अनुच्छेद-324 में चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान है। इसके अनुसार चुनाव आयुक्तों की संख्या तथा उनका कार्यकाल संसद द्वारा इस संबंध में निर्मित विधि के अधीन होता है।
- वर्ष 1989 में चुनाव आयुक्तों की संख्या को 1 से बढ़ाकर 3 कर दिया गया।
- 1990 में पुनः इसे एक सदस्यीय बना दिया गया किंतु वर्ष 1993 में इसे फिर से 3 सदस्यीय कर दिया गया, तब से संसद ने नियुक्ति प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया है।
- वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर इनकी नियुक्ति करता है।
- इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल की आयु (दोनों में से जो भी पहले हो) तक होता है।
- मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग का प्रमुख होता है लेकिन उसके अधिकार भी बाकी चुनाव आयुक्तों के बराबर ही होते हैं।
- चुनाव आयोग के फैसले सदस्यों के बहुमत या सर्वसम्मति के आधार पर होते हैं।

- मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया की समान प्रक्रिया द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है।
- अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है।
- संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भू-भाग का निर्धारण करना।
- समय-समय पर निर्वाचक नामावली तैयार करना और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना।
- निर्वाचन की तिथि और समय-सारणी निर्धारित करना एवं नामांकन पत्रों का परीक्षण करना।

- राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना एवं उन्हें निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना।
- राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और चुनाव चिन्ह देने के मामले में हुए विवाद के समाधान के लिए न्यायालय की तरह काम करना।
- निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त करना।
- निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करना।

विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए)

समाचार पत्रों में क्यों?

केंद्र ने सोमवार (27 फरवरी, 2023) को सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर) के विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) लाइसेंस को निलंबित कर दिया।

त्वरित मुद्दा?

- ऑक्सफैम इंडिया और इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक-स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन (IPSMF) के साथ ही CPR (गैर-लाभकारी संगठन) पर आयकर विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया गया था।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- एफसीआरए को 1976 में आपातकाल के दौरान इस आशंका के बीच अधिनियमित किया गया था कि 'विदेशी शक्तियां स्वतंत्र संगठनों के माध्यम से देश में धन भेजकर भारत के मामलों में हस्तक्षेप कर रही थीं। '
- कानून ने व्यक्तियों और संघों को विदेशी दान को विनियमित करने की मांग की ताकि वे 'एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के मूल्यों के अनुरूप' कार्य कर सकें।
- 2010 में यूपीए सरकार के तहत एक संशोधित एफसीआरए अधिनियमित किया गया था ताकि विदेशी धन के उपयोग पर 'कानून को मजबूत' किया जा सके और 'राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक किसी भी गतिविधि' के लिए

अन्य प्रमुख तथ्य?

एफसीआरए पंजीकरण कैसे दिया जाता है?

- एनजीओ जो विदेशी धन प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें आवश्यक दस्तावेज के साथ एक निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। एफसीआरए पंजीकरण उन व्यक्तियों या संघों को दिया जाता है जिनके पास निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम होते हैं।
- एनजीओ द्वारा आवेदन के बाद, गृह मंत्रालय आवेदक के पूर्ववृत्त में खुफिया ब्यूरो के माध्यम से पूछताछ करता है और तदनुसार आवेदन को संसाधित करता है।
- एफसीआरए के तहत, आवेदक को काल्पनिक या बेनामी नहीं होना चाहिए और एक धार्मिक आस्था से दूसरे धर्म में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन या बल के माध्यम से धर्मांतरण के उद्देश्य से गतिविधियों में लिप्त होने के लिए मुकदमा या दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए।

उनके उपयोग को 'प्रतिबंधित' किया जा सके।

- 2020 में वर्तमान सरकार द्वारा कानून में फिर से संशोधन किया गया, जिससे सरकार को एनजीओ द्वारा विदेशी धन की प्राप्ति और उपयोग पर सख्त नियंत्रण और जांच मिली।

- एफसीआरए प्रत्येक व्यक्ति या एनजीओ को विदेशी दान प्राप्त करने के लिए (i) अधिनियम के तहत पंजीकृत होने, (ii) भारतीय स्टेट बैंक, दिल्ली में विदेशी धन की प्राप्ति के लिए एक बैंक खाता खोलने के लिए और (iii) की आवश्यकता है। उन निधियों का केवल उसी उद्देश्य के लिए उपयोग करना जिसके लिए उन्हें प्राप्त किया गया है और अधिनियम में निर्धारित किया गया है। वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की भी आवश्यकता होती है और उन्हें किसी अन्य एनजीओ को फंड ट्रांसफर नहीं करना चाहिए।
- यह अधिनियम चुनावों के लिए उम्मीदवारों, पत्रकारों या अखबारों और मीडिया प्रसारण कंपनियों, न्यायाधीशों और सरकारी कर्मचारियों, विधायिका और राजनीतिक दलों के सदस्यों या उनके पदाधिकारियों, और राजनीतिक प्रकृति के संगठनों द्वारा विदेशी धन की प्राप्ति पर रोक लगाता है।
- जुलाई 2022 में, गृह मंत्रालय ने एफसीआरए नियमों में बदलाव किए और अधिनियम के तहत समझौता योग्य अपराधों की संख्या 7 से बढ़ाकर 12 कर दी। अन्य प्रमुख बदलावों में 10 लाख रुपये से कम के योगदान के लिए सरकार को सूचना देने से छूट दी गई है, पहले यह सीमा 1 लाख रुपए थी।
- यदि वे विदेश में रिश्तेदारों से विदेशी योगदान प्राप्त करते हैं और सरकार को 90 दिनों के भीतर सूचित करने में विफल रहते हैं तो नए नियमों के तहत, राजनीतिक दलों, विधायिका सदस्यों, चुनाव उम्मीदवारों, न्यायाधीशों, सरकारी कर्मचारियों, पत्रकारों और मीडिया घरानों के अलावा अन्य सभी को विदेशी योगदान प्राप्त करने से रोक दिया जाएगा।
- हालांकि, प्राप्तकर्ता को प्राप्त विदेशी योगदान का 5% भुगतान करना होगा।

सदन में 'व्हिप'

समाचार पत्रों में क्यों?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई में कहा कि सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा रहे राजनीतिक दल का कोई भी एमएलए अगर यह कहे कि वो गठबंधन के साथ नहीं जायेंगे या उनके व्हिप को नहीं मानेंगे तो उनकी सदस्यता भी जा सकती है।

त्वरित मुद्दा?

- महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों की सदस्यता खतरे में पड़ सकती है अगर उन्होंने व्हिप को नहीं माना। यह अहम टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने की है। अदालत ने कहा कि सदन में व्हिप का पालन करना सभी संबंधित विधायकों का कर्तव्य होता है। वहीं अगर सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा रहे राजनीतिक दल का कोई भी एमएलए अगर यह कहे कि वो गठबंधन के साथ नहीं जायेंगे या उनके व्हिप को नहीं मानेंगे तो उनकी सदस्यता भी जा सकती है।

- सीजेआई चंद्रचूर्ण ने कहा कि सरकार बनने के बाद विधायकों का कोई गुट यह नहीं कह सकता है कि वो गठबंधन के साथ नहीं जायेंगे। कोर्ट ने कहा की जब तक आप तब तक आप अपने दल के लिए मतदान करने के लिए बाध्य हैं। हालांकि, विलय की सूरत में यह नियम लागू नहीं होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे की लड़ाई की सुनवाई के लिए इस पीठ का गठन किया गया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- यह किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा जारी एक लिखित आदेश होता है जो पार्टी के सदस्यों को अनिवार्य रूप से मानना होता है।
- इसमें पार्टी से जुड़े विधानसभा अथवा संसद सदस्यों को यह आदेश होता है कि उन्हें अमुक मौके पर सदन में उपस्थित रहना है और किसी पक्ष विशेष में ही मतदान करना है।
- 'सचेतक' (व्हिप) की अवधारणा ब्रिटिश शासन से निकलकर आई है।
- 'सचेतक' नाम का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है।
- दल-बदल विरोधी कानून के अनुसार, एक राजनीतिक दल को अपने विधायकों को 'सचेतक' जारी करने का संवैधानिक अधिकार है। अधिकांश पार्टियां एक व्हिप नियुक्त करती हैं जिसका काम सदन के पटल पर पार्टी के सदस्यों के बीच अनुशासन सुनिश्चित करना है।

अन्य प्रमुख तथ्य?

राजनीतिक प्रणाली में व्हिप का महत्त्व

- एक लोकतंत्र में सचेतक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। उपस्थिति, अनुशासन और आदेश की पालना कराना सचेतक का काम होता है।
- सरकार के संसदीय रूप में, विभिन्न राजनीतिक दलों के व्हिप विधानसभाओं के अंदर, पार्टियों के आंतरिक संगठन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं।
- संसद और राज्य विधानसभाओं के कुशल और सुचारू कामकाज, व्हिप के कार्यालय पर काफी हद तक निर्भर करता है।
- व्हिप को विधायिकाओं के भीतर पार्टियों के प्रबंधक कहा जा सकता है।

- दलबदल- रोधी कानून अध्यक्ष / सभापति को ऐसे सदस्य को अयोग्य घोषित करने की अनुमति देता है; एकमात्र अपवाद यह है कि जब विधायकों
- **सचेतक तीन प्रकार के होते हैं-**

1. **वन लाइन सचेतक -** वन लाइन सचेतक सदस्यों को वोटिंग के बारे में जानकारी देने के लिए जारी किया जाता है।
2. **टू-लाइन सचेतक -** टू-लाइन सचेतक सदस्यों को मतदान के समय सदन में उपस्थित रहने का निर्देश देने के लिए जारी किया जाता है।
3. **श्री लाइन सचेतक -** श्री लाइन सचेतक सदस्यों को पार्टी लाइन के अनुसार वोट करने का निर्देश देने के लिए जारी किया जाता है।